

an&gt;

Title: Laid statements correcting the reply to Starred Question No. 397 given on 19th July, 2019 asked by Dr. Subhas Ramrao Bhamre and Dr. Hena Gavit, MPs regarding 'Blood Banks' and giving reasons for delay in correcting the reply.

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे):** माननीय अध्यक्ष जी, (i) मैं डॉ. सुभाष रामराव भामरे और डॉ. हिना गावीत संसद सदस्य द्वारा 'ब्लड बैंक' के बारे में पूछे गए प्रश्न संख्या 397 के संबंध में 19 जुलाई, 2019 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने और (ii) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

अधिप्रमाणित

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

'रक्त बैंकों' के संबंध में दिनांक 19.7.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II में सुधार करते हुए राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण द्वारा दिया जाने वाला वक्तव्य।

प्रश्न (प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-II में दी गई सूचना के भाग में सुधार किया जाता है)	पिछला उत्तर		संशोधित उत्तर	
	क्र.सं.	10	क्र.सं.	10
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	झारखंड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का	झारखंड

रक्त बैंक रहित जिले, जुलाई, 2019	का नाम		नाम	
	जिलों की संख्या	24	जिलों की संख्या	24
	रक्त बैंक सहित जिलों की संख्या	4	रक्त बैंक सहित जिलों की संख्या	4
	रक्त बैंक रहित जिलों के नाम	खुंटी, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा	रक्त बैंक रहित जिलों के नाम	खुंटी, सरायकेला, जामताड़ा, रामगढ़

अधिप्रमाणित

(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री

"रक्त बैंकों" के संबंध में दिनांक 19.07.2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के भाग (ख) के उत्तर में सुधार करने में विलंब के कारण ।

तारांकित प्रश्न संख्या 397 का उत्तर 19.07.2019 को लोकसभा में सदन पटल पर रखा गया गया था । प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में संशोधन अपेक्षित है, जैसा कि प्रश्न का उत्तर दिए जाने के पश्चात् हमारी जानकारी में आया था। देश में रक्त बैंक रहित जिलों की स्थिति की पुष्टि के लिए राज्यों के साथ परामर्श किए जाने के कारण, जिसके लिए राज्यों के साथ समन्वय की आवश्यकता थी, संशोधित उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय आवश्यक था । संशोधित उत्तर पटल पर रखा जा रहा है।

2. असुविधा के लिए खेद है।

पिछला उत्तर

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या :397

19 जुलाई, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

## रक्त बैंक

\*397. डॉ सुभाष रामराव भामरे:

डॉ हिना विजयकुमार गावीत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सरकारी और निजी रक्त बैंकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में अनेक जिलों/क्षेत्रों में अभी भी रक्त बैंक नहीं हैं और यदि हां, तो ऐसे जिलों/क्षेत्रों के नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जिलों/क्षेत्रों में रक्त बैंकों की कमी के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में विशेषकर सुदूरवर्ती ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधर पर रक्त बैंकों की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, निजी और सरकारी क्षेत्र के साथ समन्वय है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा रक्त की अवैध बिक्री तथा संबंधित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने/रोकने के लिए देश के सभी भागों में अधिक से अधिक रक्त बैंक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन)

(क) से (ङ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में 3108 लाइसेंसधारक ब्लड बैंक हैं। देश में कार्यशील सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) और (ग): देश में ऐसे 76 जिले हैं जहाँ ब्लड बैंक नहीं हैं। उनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकारें आवधिक रूप से नए जिलों का गठन करती हैं, अतः ऐसे जिलों की रक्त आवश्यकताओं को समीप के जिलों में लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रथम रेफरल इकाइयों में स्थापित रक्त भण्डार केन्द्रों और 24 घण्टे कार्यशील चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार को राज्यों से रक्त की कमी के कारण होने वाली मौतों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी सूचना का राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(घ): प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक नीति तैयार की है। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ब्लड बैंकों की स्थापना को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा ब्लड बैंकों के सुदृढीकरण/नए ब्लड बैंकों की स्थापना सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ): राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और प्रत्येक राज्य में रक्ताधान परिषदें एक ओर सरकारों के बीच तथा दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों तथा प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय के उद्देश्य से तंत्र को सुविधा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और राज्य रक्ताधान परिषदें सार्वजनिक क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक एसोसिएशनों तथा प्राइवेट हस्तियों इत्यादि के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान करने का परामर्श देती हैं, स्थानीय और अखिल भारतीय स्तर पर रक्तदान अभियानों का आयोजन करती हैं तथा सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, 74 ब्लड बैंक तथा 1583 ब्लड भण्डार केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय रक्त नीति रक्त को, मानव अंग की स्वैच्छिक रूप से दान की गई उपयोगी वस्तु होने के कारण, इसकी खरीद-फरोख्त को निषेध करती है। रक्त और रक्त के घटकों के एकत्रण, संसाधित करने, भण्डार करने तथा परिवहन के लिए केवल लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों को ही अनुमति दी जाती है। लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों में, रक्त तथा रक्त घटकों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को लाइसेंसिंग और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। रक्त तथा रक्त घटकों के संसाधन प्रभारों के लिए दिशा-निर्देश का अनुपालन करने तथा कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं करने के लिए सभी लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों को निर्देश जारी किए जाते हैं। लोगों की जानकारी के लिए ब्लड बैंक परिसरों में स्थान विशेष पर प्रभारों को प्रदर्शित करने के लिए भी उन्हें निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों से ही अनुमोदित संसाधन प्रभारों पर रक्त प्राप्त करें।

अनुलग्नक-I

भारत में दिसंबर, 2018 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	सरकारी ब्लड बैंक	निजी तथा धर्मार्थ ब्लड बैंक	कुल
1	अंडमान और निकोबार	02	01	03
2	आंध्र प्रदेश	34	135	169
3	अरुणाचल प्रदेश	09	01	10
4	असम	39	32	71
5	बिहार	35	45	80
6	चंडीगढ़	03	01	04
7	छत्तीसगढ़	31	51	82
8	दादरा और नगर हवेली	-	01	01
9	दमन और दीव	02	00	02
10	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	22	38	60
11	गोवा	03	03	06
12	गुजरात	28	125	153
13	हरियाणा	26	79	105

14	हिमाचल प्रदेश	19	03	22
15	जम्मू और कश्मीर	30	05	35
16	झारखंड	28	23	51
17	कर्नाटक	42	174	216
18	केरल	41	128	169
19	लक्षद्वीप	01	00	01
20	मध्य प्रदेश	61	92	153
21	महाराष्ट्र	76	257	333
22	मणिपुर	04	01	05
23	मेघालय	05	02	07
24	मिजोरम	09	02	11
25	नगालैंड	05	-	05
26	ओडिशा	63	20	83
27	पांडिचेरी	05	13	18
28	पंजाब	51	65	116
29	राजस्थान	61	80	141
30	सिक्किम	02	01	03
31	तमिलनाडु	99	194	293
32	तेलंगाना	30	150	180
33	त्रिपुरा	11	02	13
34	उत्तर प्रदेश	105	222	327
35	उत्तराखंड	23	16	39
36	पश्चिम बंगाल	96	45	141
	कुल	1101	2007	3108

## अनुलग्नक-II

\*\*\*\*\*

## ब्लड बैंक रहित जिले जुलाई, 2019

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	ब्लड बैंक रहित जिलों की संख्या	ब्लड बैंक रहित जिलों के नाम
1	अण्डमान और निकोबार	3	2	उत्तर और मध्य अण्डमान और निकोबार
2	अरुणाचल प्रदेश	24	14	कमले, पक्केसांग, श्री योमी, लेपा राडा, लोहित, ईस्ट कामेंग, के-दादी, सियांग, लोअर सियांग, नामसाई, देवांग बैली, अंजाव, तिरप, लोंगडिंग
3	असम	33	4	मंचर और दक्षिण सालमारा, चराइदेव, होजई, पश्चिम कार्बीअंगलॉग
4	बिहार	38	5	अरवल, अररिया, सुपौल, बांका, शेहर
5	छत्तीसगढ़	27	4	बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर, बलरामपुर
6	गुजरात	33	2	महिसागर, डोंग
7	हरियाणा	22	1	चरखी दादरी
8	हिमाचल प्रदेश	12	1	लाहौलस्फीति
9	जम्मू और कश्मीर	22	5	बांदीपोरा, गांदरवल, श्रीपियां, सांबा, रियासी
10	झारखंड	24	4	खूंटी, सरायकेला, जामताड़ा, गोड्डा
11	मध्य प्रदेश	51	2	आगर मालवा, निवाड़ी
12	मणिपुर	16	12	मेनापति, उखरूल, चंदेल, तमंगलॉग, विष्णुपुर, जिराबाम, कांगपोकपी, काचिंग, डेंगोपाल, कंबोंग, नोनी, फेरजावल
13	मेघालय	11	5	साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैतिया हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, नार्थ गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स
14	नागालैण्ड	12	9	परेन, किफायर, लॉन्गलेन, सोम, बोखा, फेक, तुएनसांग, जुन्हबोतो, नोकक
15	सिक्किम	4	2	उत्तरी सिक्किम, पश्चिम सिक्किम
16	तेलंगाना	31	4	वारंगल ग्रामीण, महबूबबाद, आसिफाबाद, नागरकुर्नूल
36	कुल	723	76	

## संशोधित उत्तर

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या :397

19 जुलाई, 2019को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

रक्त बैंक

\*397. डॉ सुभाष रामराव भामरे:

डॉ हिना विजयकुमार गावीत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत सरकारी और निजी रक्त बैंकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में अनेक जिलों/क्षेत्रों में अभी भी रक्त बैंक नहीं हैं और यदि हां, तो ऐसे जिलों/क्षेत्रों के नाम दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे जिलों/क्षेत्रों में रक्त बैंकों की कमी के कारण अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूरे देश में विशेषकर सुदूरवर्ती ग्रामीण तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधर पर रक्त बैंकों की स्थापना के लिए कोई योजना तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या स्वैच्छिक रक्तदान को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, निजी और सरकारी क्षेत्र के साथ समन्वय है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा रक्त की अवैध बिक्री तथा संबंधित अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने/रोकने के लिए देश के सभी भागों में अधिक से अधिक रक्त बैंक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन)

(क) से (ङ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

### दिनांक 19 जुलाई, 2019 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): देश में 3108 लाइसेंसधारक ब्लड बैंक हैं। देश में कार्यशील सरकारी और प्राइवेट ब्लड बैंकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या की विस्तृत जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।

(ख) और (ग): देश में ऐसे 76 जिले हैं जहाँ ब्लड बैंक नहीं हैं। उनका विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। फिर भी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनेक प्रशासनिक कारणों से राज्य सरकारें आवधिक रूप से नए जिलों का गठन करती हैं, अतः ऐसे जिलों की रक्त आवश्यकताओं को समीप के जिलों में लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों से तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रथम रेफरल इकाइयों में स्थापित रक्त भण्डार केन्द्रों और 24 घण्टे कार्यशील चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से पूरा किया जाता है। सरकार को राज्यों से रक्त की कमी के कारण होने वाली मौतों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी सूचना का राष्ट्रीय स्तर पर भी अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

(घ): प्रत्येक जिले में कम से कम एक ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए भारत सरकार ने एक नीति तैयार की है। जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ब्लड बैंकों की स्थापना को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर मौजूदा ब्लड बैंकों के सुदृढीकरण/नए ब्लड बैंकों की स्थापना सहित उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(ङ): राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और प्रत्येक राज्य में रक्ताधान परिषदें एक ओर सरकारों के बीच तथा दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों तथा प्राइवेट सेक्टर के बीच समन्वय के उद्देश्य से तंत्र को सुविधा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद और राज्य रक्ताधान परिषदें सार्वजनिक क्षेत्र के स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक एसोसिएशनों तथा प्राइवेट हस्तियों इत्यादि के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान करने का परामर्श देती हैं, स्थानीय और अखिल भारतीय स्तर पर रक्तदान अभियानों का आयोजन करती हैं तथा सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण क्रियाकलापों का आयोजन करती हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, 74 ब्लड बैंक तथा 1583 ब्लड भण्डार केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय रक्त नीति रक्त को, मानव अंग की स्वैच्छिक रूप से दान की गई उपयोगी वस्तु होने के कारण, इसकी खरीद-फरोख्त को निषेध करती है। रक्त और रक्त के घटकों के एकत्रण, संसाधित करने, भण्डार करने तथा परिवहन के लिए केवल लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों को ही अनुमति दी जाती है। लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों में, रक्त तथा रक्त घटकों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता को लाइसेंसिंग और आवधिक निरीक्षणों के माध्यम से राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। रक्त तथा रक्त घटकों के संसाधन प्रभागों के लिए दिशा-निर्देश का अनुपालन करने तथा कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं करने के लिए सभी लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों को निर्देश जारी किए जाते हैं। लोगों की जानकारी के लिए ब्लड बैंक परिसरों में स्थान विशेष पर प्रभागों को प्रदर्शित करने के लिए भी उन्हें निर्देश जारी किए जाते हैं। सभी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों से ही अनुमोदित संसाधन प्रभागों पर रक्त प्राप्त करें।

अनुलग्नक-I

### भारत में दिसंबर, 2018 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार लाइसेंसधारी ब्लड बैंकों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	सरकारी ब्लड बैंक	निजी तथा धर्मार्थ ब्लड बैंक	कुल
1	अंडमान और निकोबार	02	01	03
2	आंध्र प्रदेश	34	135	169
3	अरुणाचल प्रदेश	09	01	10
4	असम	39	32	71
5	बिहार	35	45	80
6	चंडीगढ़	03	01	04
7	छत्तीसगढ़	31	51	82
8	दादरा और नगर हवेली	-	01	01
9	दमन और दीव	02	00	02
10	दिल्ली संघ शामिल क्षेत्र	22	38	60
11	गोवा	03	03	06
12	गुजरात	28	125	153
13	हरियाणा	26	79	105
14	हिमाचल प्रदेश	19	03	22
15	जम्मू और कश्मीर	30	05	35
16	झारखंड	28	23	51
17	कर्नाटक	42	174	216
18	केरल	41	128	169
19	लक्षद्वीप	01	00	01
20	मध्य प्रदेश	61	92	153
21	महाराष्ट्र	76	257	333
22	मणिपुर	04	01	05
23	मेघालय	05	02	07
24	मिजोरम	09	02	11
25	नगालैंड	05	-	05
26	ओडिशा	63	20	83
27	पांडिचेरी	05	13	18
28	पंजाब	51	65	116
29	राजस्थान	61	80	141
30	सिक्किम	02	01	03
31	तमिलनाडु	99	194	293
32	तेलंगाना	30	150	180
33	त्रिपुरा	11	02	13
34	उत्तर प्रदेश	105	222	327
35	उत्तराखंड	23	16	39
36	पश्चिम बंगाल	96	45	141
	कुल	1101	2007	3108

## ब्लड बैंक रहित जिले जुलाई, 2019

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिलों की संख्या	ब्लड बैंक रहित जिलों की संख्या	ब्लड बैंक रहित जिलों के नाम
1	अण्डमान और निकोबार	3	2	उत्तर और मध्य अंडमान और निकोबार
2	अरुणाचल प्रदेश	24	14	कमले, पडुकेसांग, श्री योमी, लेपा राडा, लोहित, ईस्ट कामेंग, क्रे-दादी, मियांग, लोअर मियांग, नामसाई, देवांग बैली, अंजाव, तिरप, लोंगडिंग
3	असम	33	4	मंचर और दक्षिण सालमारा, चराइदेव, होजई, पश्चिम कार्बीअंगलोंग
4	बिहार	38	5	अरवल, अररिया, सुपौल, बांका, शेहर
5	छत्तीसगढ़	27	4	बालोद, गरियाबंद, नारायणपुर, बलरामपुर
6	गुजरात	33	2	महिसागर, डांग
7	हरियाणा	22	1	चरखी दादरी
8	हिमाचल प्रदेश	12	1	लाहौलस्पीति
9	जम्मू और कश्मीर	22	5	बांदीपोरा, गांदरबल, शोपियां, सांबा, रियासी
10	झारखंड	24	4	खुंटी, सरायकेला, जामताड़ा, रामगढ़
11	मध्य प्रदेश	51	2	आगर मालवा, निवाड़ी
12	मणिपुर	16	12	सेनापति, उखरूल, चंदेल, तमेंगलोंग, विष्णुपुर, जिरीबाम, कांगपोकपी, काचिंग, टेओपाल, केंजोंग, नोनी, फेरजावल
13	मेघालय	11	5	साउथ वेस्ट खासी हिल्स, ईस्ट जैतिया हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, साउथ वेस्ट गारो हिल्स, नार्थ गारो हिल्स, साउथ गारो हिल्स
14	नागालैण्ड	12	9	पेरें, किफायर, लॉन्गलेन, सोम, बोखा, फेक, तुएनसांग, जुहवोतो, नोकक
15	सिक्किम	4	2	उत्तरी सिक्किम, पश्चिम सिक्किम
16	तेलंगाना	31	4	वारंगल ग्रामीण, महबूबबाद, आसिफाबाद, नागरकुर्नूल
36	कुल	723	76	